



अकादमिक कैलेण्डर, सत्र 2024-25

1. प्रवेश प्रक्रिया (महाविद्यालय स्तर पर) —
 - (अ) स्नातक/स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम वर्ष — 18.06.2024 से 31.07.2024 तक
 - (ब) अन्य कक्षाओं हेतु रिक्त स्थान होने पर — 18.06.2024 से 15.07.2024 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन के भीतर
 - (ग) प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से या शासन के निर्देशानुसार
2. कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि — 14 अगस्त 2024 तक
3. नियमित कक्षाएँ प्रारंभ — 01.07.2024
4. वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन — मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह से
5. सभी वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा — 16.06.2025 तक
6. पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा — 16.08.2025 तक
7. पूरक परीक्षा का आयोजन — न्यूनतम समय में
8. पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा — 31.10.2025 तक
9. छात्रसंघ गतिविधियाँ —
 - (क) छात्रसंघ गठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण — 24.08.2024 से 31.08.2024 तक छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव/मनोनयन शासन के निर्देशानुसार
10. खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ —
 - (क) खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर आउटडोर) — 18.07.2024 से
 - (ख) खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर) — 20.12.2024 तक
 - (ग) महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण — 19, 20 एवं 21 दिसम्बर 2024 में से कोई दो दिन
11. एन.सी.सी./एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ —
 - (क) वृक्षारोपण कार्यक्रम — जुलाई, 2024 के द्वितीय सप्ताह
 - (ख) महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन — 20, 21 एवं 23 दिसम्बर 2024 में से कोई एक दिन
 - (ग) एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प का आयोजन — 23.12.2024 से 30.12.2024 तक

12. अवकाश	—	
(क) दशहरा अवकाश (3 दिन)	—	10.10.2024 से 12.10.2024 तक
(ख) दीपावली अवकाश (5 दिन)	—	29.10.2024 से 02.11.2024 तक
(ग) शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	—	26.12.2024 से 28.12.2024 तक
(घ) ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 माह)	—	16.05.2025 से 15.06.2025 तक

13. वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम

1. वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन — फरवरी 2025 में
2. वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन — मार्च 2025 प्रथम सप्ताह में

नोट:— अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में महाविद्यालय अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कलैण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली

क्र.	अकादमिक कार्य	स्नातक / स्नातकोत्तर) (I/III/V Sem.)	स्नातक / स्नातकोत्तर (II/IV/VI Sem.)
	प्रवेश प्रक्रिया :-		
1	प्रथम सेमेस्टर	18 जून से 31 जुलाई 2024 तक	—
	कुलपति के अनुमति से	14 अगस्त 2024 तक	—
	अन्य सेमेस्टर हेतु	18 जून से 15 जुलाई 2024 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन के भीतर	—
	प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से या शासन के निर्देशानुसार		
2	कक्षाओं का आरंभ	1 जुलाई 2024 से	02 जनवरी 2025 से
	आंतरिक मूल्यांकन:-		
3	प्रथम आंतरिक मूल्यांकन	21, 22, 23 अगस्त 2024	17, 18, 19 फरवरी 2025
	द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन	24, 25, 26 सितम्बर 2024	18, 19, 20 मार्च 2025
4	प्रायोगिक परीक्षाएँ	11 नवम्बर से 20 नवम्बर 2024 तक	15 से 24 अप्रैल 2025 तक
5	परीक्षा पूर्व तैयारी	21 नवम्बर से 27 नवम्बर 2024 तक	25 से 30 अप्रैल 2025 तक
6	लिखित परीक्षा	28 नवम्बर 2024 से	01 मई 2025 से
7	इंटर्नशीप	लिखित परीक्षा समाप्त होने के पश्चात्	लिखित परीक्षा समाप्त होने के पश्चात्
8	परीक्षा परिणाम	31 दिसम्बर 2024 तक	15 जून 2025 तक

नोट :- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक प्रति सेमेस्टर 90 दिवसों से कम होने की स्थिति में महाविद्यालय अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कलैण्डर का पालन सुनिश्चित हो।


नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता:-


1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की सेमेस्टर कक्षाओं में प्रत्येक विषय के 2 आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थिति अनिवार्य है।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्राओं को उपस्थित माना जायेगा।
4. छात्राओं के उपस्थिति की प्रथम गणना वार्षिक परीक्षा प्रणाली में 30 सितम्बर तक की जायेगी एवं सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में 30 अगस्त/28 फरवरी तक की जायेगी।
5. छात्राओं के उपस्थिति की द्वितीय गणना वार्षिक परीक्षा प्रणाली में 28 फरवरी तक की जायेगी एवं सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में 31 अक्टूबर/ 15 अप्रैल तक की जायेगी।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

1. प्रातःकालीन पाली के लिए – प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए – प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण –
06 घण्टे अध्ययन-अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)
1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)
4. समस्त प्रकार की बैठक/स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जाये।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।
6. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारीयाँ प्रदान करेंगे।
7. यदि पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।
8. आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन-अध्यापन की पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी का यथोचित विस्तार किया जाये।
9. सभी प्राध्यापकों के लिए परीक्षा संबंधी कार्य जैसे पेपर सेटिंग, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं वीक्षण ड्यूटी करना अनिवार्य है।


(डॉ. अभया जोगलेकर)
परीक्षा नियंत्रक
CONTROLLER
स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ
Autonomous Examination Cell
Govt. D.B. Girls P.G. College
RAIPUR (C.G.)


(डॉ. किरण गजपाल)
प्राचार्य
Dr. Kiran Gajpal
PRINCIPAL
शास. दू.ब. महिला उच्च शिक्षा महाविद्यालय
रायपुर (C.G.)
Govt. D.B. Girls P.G. College
RAIPUR (C.G.)